न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध Execution प्रकरण संख्या : /2019 Gems No. 2019/00224 (रावा. सं. 85/2012)
दायरा तिथि : 20.09.2012
प्राथमिक डिक्री दिनांक: 24.05.2016 फाईनल डिक्री दिनांक 8-9-2021

वादीगण :–

1. मोहम्मद इकबाल पुत्र मरहूम मोहम्मद असागरजी
2. मोहम्मद हारून पुत्र मरहूम मोहम्मद असागरजी
   जातिगण मुसलमान निवासीगण जोधपुर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. मोहम्मद फारूख पुत्र मरहूम मोहम्मद असागरजी
2. मोहम्मद अफजल पुत्र मरहूम मोहम्मद असागरजी
3. मोहम्मद असलम पुत्र मरहूम मोहम्मद असागरजी
4. मोहम्मद साबिर पुत्र मरहूम मोहम्मद असागरजी
5. मोहम्मद सुवाल पुत्र मरहूम मोहम्मद असागरजी
6. श्रीमति साबरा पुत्री मरहूम मोहम्मद असगरजी
7. श्रीमति फरीदा पुत्री मरहूम मोहम्मद असागरजी
8. श्रीमति शमीम पुत्री मरहूम मोहम्मद असगरजी
9. श्रीमति शबाना पुत्री मरहूम मोहम्मद असागरजी
10. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–

1. वादीगण ....अनुपस्थित
2. श्री गणपतलाल चौधरी — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से
3. नायब तहसीलदार.................. — पेरोकार सरकार

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 8-9-2021

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
(Execution of p.d. order Dated 24.05.2016)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर सरहद मौजा बेडा चक प्रथम मे स्थित भूमि खसरा नंबर 952 रकबा 7.78 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं ग्राम बेडा II में स्थित भूमि खसरा नंबर 3667 रकबा 2.80 हैक्टर, खसरा नंबर 3668 रकबा 0.65 हैक्टर खसरा नंबर 3671 रकबा 1. 21 हैक्टर खसरा नंबर 3672 रकबा 2.94 हैक्टर कुल रकबा 7.60 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व बारानी अव्वल में वर्णित भूमि के खातेदारान् वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 09 मुस्लिम उताराधिकार कानून से गवर्न होने से मुस्लिम उताराधिकार कानून के अनुसार पुरूष वारिसान को 5/6 हिस्सा का खातेदार एवं महिला वारिशान को 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुये इसी अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादीगण का उक्त वाद राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2016 केम्प कोर्ट बेडा दिनांक 24.05.2016 को प्रस्तुत होने पर वादीगण व प्रतिवादीगणो के अधिवक्ता की मौजुदगी में सहमति के आधार पर वाद में वर्णित भूमि मौजा बेडा चक प्रथम के खसरा नंबर 952 रकबा 7.78 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं ग्राम बेडा II में स्थित भूमि खसरा नंबर 3667 रकबा 2.80 हैक्टर, खसरा नंबर 3668 रकबा 0.65 हैक्टर खसरा नंबर 3671 रकबा 1.21 हैक्टर खसरा नंबर 3672 रकबा 2.94 हैक्टर कुल रकबा 7.60 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व बारानी अव्वल के खातेदारान् वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 09 मुस्लिम उताराधिकार कानून से गवर्न होने से मुस्लिम उताराधिकार कानून के अनुसार पुरूष वारिशान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 05 को संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा यानि प्रत्येक को (5/6X 1/7)=5/42 हिस्सा का एवं महिला वारिशान प्रतिवादी संख्या 06 लगाय 09 को 1/6 हिस्सा यानि प्रत्येक को (1/6X 1/4)=1/24 हिस्सा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदार घोषित किया गया। तथा साथ ही बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री धारा 53 के तहत जारी की गई। उक्त निर्णय को पारित होने के एक वर्ष तक पालना प्रस्तुत नही होने से प्रतिवादी संख्या–01 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा दिनांक 24.4.2017 को दिनांक 24.05.2016 को पारित प्राथमिक डिक्री की पालना कराये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या–01 के आवेदन पर दिनांक 5.02.2019 को प्रकरण राजस्व विविध में संस्थापित करते हुये तहसीलदार, बाली से पालना रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी पालना में पटवारी हल्का, बेडा द्वारा दिनांक 15.07.2021 को रिपोर्ट पेश की गई।

पेज लगातार......02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध Execution प्रकरण संख्या /2019 Gems No. 2019/00224 (रावा. सं. 85/2012)
अनवान मोहम्मद इकबाल वगैरा बनाम मोहम्मद फारूख वगैरा
अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
(Execution of p.d. order Dated 24.05.2016)

उक्त रिपोर्ट तहसीलदार की हस्ताक्षरित नहीं होने तथा प्रस्तुत रिपोर्ट के सबंध में अधिवक्ता प्रतिवादी श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा इस आशय की आपत्ति की गई कि प्राथमिक डिक्री मुस्लिम विधि के अनुसार पारित की गई थी, जिसमें पुरूष वारिशान को 5/6 हिस्सा का एवं महिला वारिशान को 1/6 हिस्सा का संयुक्त रूप से खातेदार घोषित करते हुये इसी अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के रिपोर्ट प्रस्तुती बाबत् विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री के विपरित होने से पुनः प्राथमिक डिक्री के अनुसार रिपोर्ट मंगाये जाने का निवेदन किया। बाद अवलोकन पत्रावली अधिवक्ता प्रतिवादी की मांग को स्वीकार करते हुये पुनः सही रिपोर्ट तहसीलदार, बाली को प्रस्तुती के निर्देश दिनांक 19.07.2021 को प्रदत्त किये गये। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार, बेडा ने पुनः रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक/ उतबे/भूरा/ 2021/560 दिनांक 27.07.2021 से वाद में वर्णित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के मध्य विभाजन करते निम्नानुसार रिपोर्ट पेश कीः–

(ग्राम बेडा चक प्रथम के खसरा नंबर 952 रकबा 7.48 हैक्टर का विभाजन प्रस्ताव)

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	वि..वि..
1	मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद असगर हि. 1/2 मोहम्मद हारून पुत्र मोहम्मद असगर हि. 1/2 जाति मेडतिया सिलावट सा. देह खातेदार	952	1.7809	बारानी दोयम	8.90	हल्का भुरा रंग
2	फरीदा पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 शमीम पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 सबाना पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 साबरा पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 जाति मेडतिया सिलावट सा. देह खातेदार	952/1	1.2467	बारानी दोयम	6.24	गुलाबी रंग
3	मोहम्मद अफजल पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद सुवाल पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद साबीर पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 जाति मेडतिया सिलावट सा. देह खातेदार	952/2	4.4524	बारानी दोयम	22.26	रेखा

(ग्राम बेडा चक द्वितीय के खसरा नंबर 3667, 3668, 3671, 3672, कुल रकबा 7.60 हैक्टर का विभाजन प्रस्ताव)

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	वि..वि..
1	मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद असगर हि. 1/2 मोहम्मद हारून पुत्र मोहम्मद असगर हि. 1/2 जाति मेडतिया सिलावट सा. देह खातेदार	3672	1.81	बारानी अव्वल	12.67	पीला
2	फरीदा पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 शमीम पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 सबाना पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 साबरा पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 जाति मेडतिया सिलावट सा. देह खातेदार	3672/1 3667	1.13 0.13	बा.अ. बा.दो.	7.91 0.65	गुलाबी रंग
		02	**1.26**		**8.56**	
3	मोहम्मद अफजल पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद सुवाल पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद साबीर पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 जाति मेडतिया सिलावट सा. देह खातेदार	3667/1 3671 3668	2.67 1.21 0.65	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	13.35 6.05 3.25	जामुनी
		03	4.53		22.65	

अपनी रिपोर्ट में पटवारी हल्का, बेडा द्वारा किसी पक्षकार का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होना बताया गया।

पेज लगातार.................03

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

राजस्व विविध Execution प्रकरण संख्या /2019 Gems No. 2019/00224 (रावा. सं. 85/2012)
अनवान मोहम्मद इकबाल वगैरा बनाम मोहम्मद फारूख वगैरा
अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
(Execution of p.d. order Dated 24.05.2016)

नायब तहसीलदार, बेडा से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वकील प्रतिवादी संख्या–01 श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विभाजन रिपोर्ट में बेडा चक प्रथम के खसरा नंबर 952 रकबा 1.7809 हैक्टर किरम बारानी दोयम वार्षिक लगान 8.90 में मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद असगर के 1/2 हिस्से के साथ मोहम्मद हारूण पुत्र मोहम्मद असगर को 1/2 हिस्से का सयुक्त खातेदार बताया गया है, जबकि मोहम्मद असलम के साथ मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद असगर का 1/2 हिस्सा दर्शाया जाना आवश्यक व न्याय संगत हैं। इस हेतु मोहम्मद असलम व मोहम्मद फारूख सहमत हैं तथा मोहम्मद हारूण पुत्र मोहम्मद असगर को मोहम्मद अफलल वगैरा के साथ 1/5 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत हैं। इसी प्रकार ग्राम बेडा चक द्वितीय के खसरा नंबर 3672 रकबा 1.61 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल वार्षिक लगान 12.67 रूपये में मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद असकर के 1/2 हिस्से के साथ मोहम्मद हारूण पुत्र मोहम्मद असकर को 1/2 हिस्से का संयुक्त खातेदार बताया गया हैं, जबकि मोहम्मद असलम के साथ मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद असलम व मोहम्मद फारूख सहमत हैं तथ मोहम्मद हारूण पुत्र मोहम्मद असकर को मोहम्मद अफजल वगैरा के साथ 1/5 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत हैं। उक्त प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ने आपत्ति में सिर्फ यह बताया हैं कि खसरा नंबर 952 रकबा 1.7809 हैक्टर में मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद असगर के 1/2 हिस्से के साथ मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद असगर को दर्शाना है, इस हेतु मोहम्मद असलम तथा मोहम्मद फारूख अर्थात् प्रतिवादी संख्या 01 व 03 सहमत भी है। तथा मोहम्मद हारूण पुत्र मोहम्मद असकर को मोहम्मद अफजल वगैरा के 1/5 हिस्सा के साथ खातेदार दर्ज किये जाने पर पक्षकारो के हिस्से बंट की भूमि में कोई अंतर नहीं पडता है, तथा पटवारी हल्का, बेडा की रिपोर्ट के अनुसार किसी पक्षकार का मौके पर कब्जा भी नहीं है, जिससे वकील प्रतिवादी की मांग अनुसार विभाजन की डिक्री में प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या–03 को एक साथ रखने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। इसी आशय की आपत्ति ग्राम बेडा चक द्वितीय के खसरा नंबर 3672 रकबा 1.61 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल वार्षिक लगान 12.67 रूपये के संबध में वकील प्रतिवादी श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा व्यक्त करते हुये मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद असगर के 1/2 हिस्से के साथ मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद असगर को दर्शाने की मांग की गई है, तथा इस हेतु मोहम्मद असलम तथा मोहम्मद फारूख अर्थात् प्रतिवादी संख्या 01 व 03 सहमत भी है। तथा मोहम्मद हारूण पुत्र मोहम्मद असकर को मोहम्मद अफजल वगैरा के 1/5 हिस्सा के साथ खातेदार दर्ज किये जाने पर पक्षकारो के हिस्से बंट की भूमि में कोई अंतर नहीं पडता है, तथा पटवारी हल्का, बेडा की रिपोर्ट के अनुसार किसी पक्षकार का मौके पर कब्जा भी नहीं है, जिससे वकील प्रतिवादी की मांग अनुसार विभाजन की डिक्री में प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या–03 को एक साथ रखने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।

अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम बेडा प्रथम व बेडा द्वितीय में स्थित भूमियो के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

(ग्राम बेडा चक प्रथम के खसरा नंबर 952 रकबा 7.48 हैक्टर का विभाजन प्रस्ताव)

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	वि..वि..
1	मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद असगर हि. 1/2 मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/2 जाति मेडतिया सिलावट सा. देह खातेदार	952	1.7809	बारानी दोयम	8.90	हल्का भुरा रंग
2	फरीदा पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 शमीम पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 सबाना पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 साबरा पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 जाति मेडतिया सिलावट सा. देह खातेदार	952/1	1.2467	बारानी दोयम	6.24	गुलाबी रंग
3	मोहम्मद अफजल पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद हारून पुत्र मोहम्मद असगर हि0. 1/5 मोहम्मद सुवाल पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद साबीर पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 जाति मेडतिया सिलावट सा. देह खातेदार	952/2	4.4524	बारानी दोयम	22.26	पीला

पेज लगातार........

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध Execution प्रकरण संख्या /2019 Gems No. 2019/00224 (रावा. सं. 85/2012)
अनवान मोहम्मद इकबाल वगैरा बनाम मोहम्मद फारूख वगैरा
अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
(Execution of p.d. order Dated 24.05.2016)

(ग्राम बेडा चक द्वितीय के खसरा नंबर 3667, 3668, 3671, 3672, कुल रकबा 7.60 हैक्टर का विभाजन प्रस्ताव)

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	वि..वि..
1	मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद असगर हि. 1/2 मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/2 जाति मेडतिया सिलावट सा. देह खातेदार	3672	1.81	बारानी अव्वल	12.67	पीला रंग
2	फरीदा पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 शमीम पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 सबाना पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 साबरा पुत्री मोहम्मद असगर हिस्सा 1/4 जाति मेडतिया सिलावट सा. देह खातेदार	3672/1 3667	1.13 0.13	बा.अ. बा.दो.	7.91 0.65	गुलाबी रंग
		02	1.26		8.56	
3	मोहम्मद अफजल पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद हारून पुत्र मोहम्मद असगर हि.0 1/5 मोहम्मद सुवाल पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 मोहम्मद साबीर पुत्र मोहम्मद असगर हि0 1/5 जाति मेडतिया सिलावट सा. देह खातेदार	3667/1 3671 3668	2.67 1.21 0.65	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	13.35 6.05 3.25	जामूनी
		03	4.53		22.65	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली,जिला - पाली (राज.)

नायब तहसीलदार, बेडा द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का आंशिक भाग माना जावेगा। इसका कारण वकील प्रतिवादी संख्या–01 व 03 की मांग अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 व 03 को ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नंबर 952 रकबा 1.7809 हैक्टर में 1/2, 1/2 हिस्सा में साथ रखने तथा इसी प्रकार बेडा चक द्वितीय के खरारा नंबर 3672 रकबा 1.81 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 को खसरा नंबर 952 रकबा 1.7809 हैक्टर में 1/2, 1/2 हिस्सा में साथ रखने एवं मोहम्मद हारूण को मोहम्मइ अफजल वगैरा के साथ 1/5 हिस्सा में खातेदार रखने से रहा है। कुल लगान राशि (37.40 + 43.88) =81.28 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली पटवारी हल्का बेडा चक प्रथम व बेडा चक द्वितीय को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 8-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner